

**समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/
उपायुक्त (प्रशासन)/ सहायक आयुक्त (ए),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

अवगत कराना है कि वर्तमान में चयन वर्ष 2023-24 के उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही विभागीय चयन समिति के माध्यम से सम्पादित करायी जानी है। फील्ड में तैनात कार्मिकों के दिवंगत होने की सूचना समयान्तर्गत मुख्यालय उपलब्ध न होने के कारण चयन की कार्यवाही के समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01-01-2021 से दिवंगत कार्मिकों की सूचना दिनांक 26-12-2023 तक फैक्स/ विशेष पत्र वाहक के माध्यम से मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में दिवंगत कार्मिकों की सूचना तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

यदि आपके द्वारा उपरोक्त सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी जाती है एवं चयन की कार्यवाही में ऐसी किसी सूचना के अभाव में अन्यथा निर्णय लिए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



(रिया केजरीवाल)


अपर आयुक्त, राज्य कर,


प्रभार-अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक-// उक्ता


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित उपरोक्तानुसार वॉछित सूचना कृपया निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त वॉछित सूचना मुख्यालय पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आइ0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 4- पटल प्रभारी स्था-5(क) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्धारित समयावधि में सूचना स्था-5ख पटल, राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


A.K. Singh
29/12/23


D.C. (I.T.)
28/12/23

9922


(हरिनाम सिंह सचान)

संयुक्त आयुक्त(स्था0अरा0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।